वित्तीय स्वीकृति

संख्या-3/2023/2039/52-3-22-बजट(10)/2016टीसी-3002(001)/2/2022

प्रेषक,

शकील अहमद सिददीकी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 जनवरी, 2023

विषयः-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष राज्यांश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3502/अ0सं0क0नि0/मद0आधु0के0-02/2022, दिनांक-15 नवम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण (एस0पी0ई0एम0एम0) योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में केन्द्रॉश की प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त कुल धनराशि रू० 8,50,68,000/- **(रू0 आठ करोड़ पचास लाख अरसठ हजार मात्र) के सापेक्ष 40% राज्यांश की धनराशि रू0 3,40,27,200/- (रू0 तीन करोड़ चालीस लाख सत्ताईस हजार दो सौ मात्र)** अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के प्रस्तर-2(17) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक हेतु केन्द्रॉश की धनराशि रू० 8,50,68,000/- **(रू0 आठ करोड़ पचास लाख अरसठ हजार मात्र)** के सापेक्ष 40% राज्यांश प्रावधानित धनराशि रू0 15763.00 लाख में से लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद से **रू0 3,40,27,200/- (रू0 तीन करोड़ चालीस लाख सत्ताईस हजार दो सौ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनु 0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31.03.2023 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से मानदेय/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता बनी रहे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय - समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी , अंग्रेजी , गणित , सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्त्रगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(5) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा, जो धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) शिक्षकों के मानदेय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसी अवधि के मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में नियमो/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

3- उक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-" 2202-सामान्य शिक्षा-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-**यू.ओ. संख्या-E-401-4-X-2022-23,** दिनांक: 13-01-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिददीकी)
उप सचिव।

संख्या-2039(1)/52-3-22 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अनु सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वां तल पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली 110003

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, थार्न हिल रोड, इलाहबाद।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक।

8- अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-1

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिददीकी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।